भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2232
जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026 को दिया जाना है

अप्रचलित और अनावश्यक कानूनों का निरसन

2232. सुश्री सयानी घोष :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2014 में अब तक सरकार द्वारा निरसित अथवा संशोधित किए गए अप्रचलित, अनावश्यक तथा पुराने केंद्रीय अधिनियमों एवं अधीनस्थ विधानों की वर्ष-वार संख्या क्या है ;

(ख) इस प्रकार निरसित किए गए कानूनों और उनसे संबंधित मंत्रालयों/विभागों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) अप्रचलित कानूनों की पहचान करने के लिए अपनाई गई व्यवस्था, समिति अथवा संस्थागत ढांचे तथा उनके निरसन के लिए अपनाए गए मानदंड क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे कानूनों के निरसन के ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, सुशासन, न्यायिक लंबित मामलों तथा विनियामक अनुपालन पर पड़े प्रभाव का आकलन किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा वर्तमान कानूनों के निरसन अथवा सरलीकरण के लिए कोई और समीक्षा की जा रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : भारत के विधि आयोग और सरकार द्वारा गठित दो सदस्यीय समिति की रिपोर्टों के आधार पर, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित विधियों को निरस्त करने संबंधी सिफारिशें सम्मिलित है सरकार ने 2014 से अब तक विभिन्न निरसन और संशोधन अधिनियमों और अन्य अधिनियम द्वारा कुल 1725 अप्रचलित और अनावश्यक विधियों को

निरस्त किया है। उक्त अवधि के दौरान निरस्त किए गए विधियों के ब्यौरे विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

https://www.legislative.gov.in/static/uploads/2026/03/af8aac0b3bfc3e703fe57ac181e9d4ba.pdf सार्वजनिक पहुंच के लिए।

अप्रचलित विधियों को निरस्त करना सरकार की "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता है। अप्रचलित और निरर्थक विधियों को निरस्त करने से न केवल विधि की पुस्तकें कम होती हैं, बल्कि अनुपालन का बोझ भी कम होता है, जिससे नागरिकों के लिए जीवन सुचारू होता है। यह कार्यपालिका, न्यायपालिका, हितधारकों और जन साधारण को विद्यमान विधियों की स्पष्टता भी प्रदान करता है।

विधायी विभाग, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों के आधार पर और संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संसदीय प्रक्रिया नियमावली में विहित प्रक्रिया के अनुसार, उनके द्वारा प्रशासित अप्रचलित और निरर्थक विधियों को निरस्त करने हेतु विधि के प्रारूप तैयार करता है। विधायी विभाग आवस्यक रूप से यह सुनिश्चित करता रहा है कि विधायी प्रारूप सरल, स्पष्ट, सटीक और स्पष्ट हो।

वर्तमान में, तारीख 02.09.2024 की अधिसूचना द्वारा भारत के तेईसवें विधि आयोग का गठन भी किया गया है, जिसे अन्य बातों के साथ, ऐसी विधियों की पहचान निश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है जिनकी अब आवश्यकता नहीं है या जो सुसंगत नहीं है और जिन्हें निरस्त किया जा सकता है।
